कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

आदेश

2/नि० स्था० चालक (ए.सी.पी.) (13) – 05/2006

वित्त विभाग, बिहार पटना के अधिसूचना संख्या 4685 दिनांक 25.06.2003 एवं 1803 दिनांक 23.03.2006 के द्वारा अधिसूचित बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त (सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) नियमावली 2003 एवं संशोधित नियमावली 2006 में निहित प्रावधानों के आलोक में सहकारिता विभाग में निदेशालय के अधीन क्षेत्रीय चालक संवर्ग के निम्नांकित कर्मी को योजना प्रभावी होने की तिथि दिनांक 09.08.1999 तक या उसके पश्चात् 12 वर्ष की नियमित एवं लगातार सेवा पूरी करने पर विभागीय स्क्रीनिंग समिति की दिनांक 11.02.16 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही कंडिका–5(i) द्वारा की गई अनुशंसा के अनुसार उनके नाम के समक्ष अंकित तिथि के प्रभाव से सम्बन्धित कॉलम में अंकित वेतनमान् में प्रथम वित्तीय उन्नयन का लाभ प्रदान करने की स्वीकृति दी जाती है।

क्र० सं०	नाम	जन्म तिथि	नियुक्ति तिथि	वित्तीय उन्नयन की तिथि/वेतनमान		अभ्युक्ति
				प्रथम	द्वितीय	
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री वीरेन्द्र प्रसाद मिश्र	10.02.67	25.07.89	25.07.2001 4000–6000/–	X	

2. उपरोक्त वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति के फलस्वरूप इनके वेतन का निर्धारण मौलिक नियमावली के नियम–22(1)(ए)(1) के प्रावधान के आलोक में किया जाएगा तथा वेतन निर्धारण के पूर्व उपरोक्त सम्बन्धित चालक की मूल सेवा पुस्तिका की पुनः जाँच करके संतुष्ट हो लिया जाएगा कि उनकी सेवा सम्पुष्ट है, द्वितीय वित्तीय उन्नयन की तिथि को उपरोक्त वर्णित वांछित अवधि की नियमित एवं लगातार सेवा पूर्ण कर लिए हैं।

3. वित्त विभाग के पत्र संख्या 3637/वि०, दिनांक 10.04.2013 के आलोक में लाभान्वित कर्मी मौलिक नियमावली के नियम–22(1)(ए)(1) के प्रावधान के तहत् वित्तीय उन्नयन की तिथि को अथवा अगली वेतनवृद्धि की तारीख को वेतन निर्धारण के संबंध में इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर विकल्प अपने कार्यालय प्रधान को दे सकेंगे। समय सीमा के अन्दर विकल्प आवेदन नही देने की स्थिति में वेतन निर्धारण वित्तीय उन्नयन की तिथि से किया जाएगा तथा एक बार किया गया विकल्प प्रयोग अन्तिम होगा।

5. उपरोक्त वित्तीय उन्नयन के संबंध में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने पर सम्बन्धित कर्मी को प्रदत्त एम०ए०सी०पी० योजना का लाभ तदनुसार रद्द/संशोधित कर दिया जाएगा तथा किसी प्रकार के अधिक भुगतान की राशि की वसूली/प्रतिपूर्ति एक मुश्त कर ली जाएगी, जो उन्हें स्वीकार होगा।

6. उपरोक्त आदेश में निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

12.4.16

(मुकुल कुमार सिन्हा)
संयुक्त निबंधक (पणन),
सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 2996 /पटना, दिनांक 12.4.16
2/नि० स्था० चालक (ए.सी.पी.) (13) – 05/2006

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी एवं प्रशाखा पदाधिकारी– 01–नि०, 02–नि० एवं 07–नि० तथा सभी सम्बन्धित कर्मियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12.4.16

संयुक्त निबंधक (पणन),
सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।